in order to eradicate illitaracy among them and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE ENVIRONMENT (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2000

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to amend the Environment (Protection) Act, 1986.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE ERADICATION OF UNEMPLOYMENT BILL, 1996 (Contd)

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस व्यापक समस्या के निराकरण के दृष्टिकोण से जो संसदीय प्रणाली हमारे यहां मौजूद है उसके अंतर्गत राज्यसभा में 20 दिसंबर, 1996 को राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री सुरेश पचौरी द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक, 1996 प्रस्तुत किया गया था । इस दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है क्योंकि यह विषय केवल रोजगार देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि कई अन्य पहलू इससे जुड़े हुए हैं । इस माननीय सदन ने इस गंभीर समस्या पर विचार करने का काम किया है । निश्चित रूप से यह चर्चा हमारा मार्गदर्शन करेगी ।

महोदय, इस चर्चा में माननीय सदस्यों ने काफी बड़ी संख्या में भाग लिया है । लगभग 27 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस विधेयक का जो सार है, उसमें कहा गया है कि राज्य प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक समय सीमा के भीतर उसकी आयु, अर्हता और शक्ति के अनुकूल रोजगार देने का प्रयास करेगा । सरकार प्रत्येक बेकार नागरिक को रोजगार प्रदान न किए जाने तक मासिक बेरोजगार भत्ता प्रदान करेगी । राज्य बेकार नागरिकों के लिए खजानों, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से आसान शर्तों तथा न्यूनतम ब्याज पर ऋणों तथा स्वरोजगार के प्रयोजनार्थ अपेक्षित अन्य सुविधाओं का उपबंध करेगा । कोई भी नागरिक नौकरी मिल जाने के पश्चात अपने रोजगार के अतिरिक्त ऐसे किसी क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त नहीं होगा जिससे उसे वित्तीय या अन्य लाभ होता हो । राज्य के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह सभी कर्मचारियों के लिए परीक्षणों या उनके निष्पादन के आधार पर कालिक प्रोन्नतियां सुनिश्चित करे । इस तरह इस विधेयक में इन सभी विषयों का उल्लेख किया गया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से इस विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान बेरोजगारी की समस्या की ओर आकर्षित करना है, देश इस समय जिसका सामना कर रहा है । इस संदर्भ में माननीय सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि काम का अधिकार यानी गारंटीशुदा रोजगार का अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को प्रदान किया जाए । दूसरे शब्दों में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का सुझाव वे देना चाहते हैं । इस प्रकार से यह जो बिल है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है । इस सम्मानित सदन के 27 सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैंने उनकी बातों को बहुत गंभीरता के साथ नोट किया है ।

4.00PM

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यह जो उसका उद्देश्य रहा है वह भी काफी व्यापक है और उसके जो परिणाम आ रहे हैं वह भी काफी गंभीर हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए इन सारी बातों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारे शिक्षित लोग हैं जिन पर देश खर्चा करता है और जो इंजीनियर हैं, जो डाक्टर हैं जिन्होंने व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, देश उनके ऊपर खर्च करता है और बाद में उनको रोजगार नहीं मिलता है और इस कारण से जो हमने उन पर खर्च किया है वह सब बेकार जा रहा है, उसकी उपयोगिता नहीं हो रही है, प्रतिमाओं का पलायन हो रहा है यह भी उनका एक दृष्टिकोण रहा है। इसलिए युवा वर्ग देश की प्रगति का आधार हो सकता है, देश के विकास के लिए जो कार्य कर सकता है, देश के उत्थान के लिए जो अपना योगदान कर सकता है उसके लिए यह उपयोगी नहीं हो पा रहा है यह भी इनकी चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, रोजगार नहीं पाने की स्थिति में जो नौजवान हैं उनके मन में व्यग्रता होगी और अनेकानेक व्यग्रता का परिणाम उसमें आ जाता है। उस दृष्टिकोण से उसकी शक्ति जो राष्ट्रहित में उपयोग होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, उसके विपरीत होती है। कुछ बात यह भी है कि साल भर रोजगार करने के लिए जो मौका होना चाहिए वह मौका भी उनको नहीं मिल पाता है। जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके कारण भी परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। अनेक समस्याओं के कारण बेरोजगारी है, ऐसी माननीय सदस्यों की धारणा रही है। इसलिए बेरोजगारी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ऐसा उनका आग्रह है। इसलिए शहर के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम मिलना चाहिए। पूरे साल काम मिल सके इस प्रकार की उनकी चिंता है। श्री पचौरी जी ने यह बिल रखते हुए यहां विस्तार से चर्चा की है। इस पर विचार करते हुए हमारे माननीय सदस्य श्री अहलुवालिया जी ने इसको रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के नाम पर जो ठगी होती है या और भी जो काम होता है उसको ठीक नहीं मानते हुए उन्होंने अपनी बात को कहा। श्री के0 राम मोहन राव जी ने इसको जनसंख्या के साथ जोड़ते हुए कहा कि बेरोजगारी इसका मुख्य कारण हो सकता है अत: जनसंख्या पर नियंत्रण इस प्रकार से किया जाए। रंगनाथ मिश्र जी ने भी काम के अधिकार की बात कही। जनसंख्या में जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए कानून का भी सहारा लिया जाना चाहिए। श्री विरुम्बी जी ने भी लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को सार्थक करने के लिए, आज जो भी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है उसमें इस बात को किस प्रकार से किया जा सकता है, ऐसा उनका सुझाव था। श्री नागेन्द्र नाथ ओझा जी का काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने, कृषि भूमि और लघु उद्योगों को बढ़ाने का उनका सुझाव था। श्रीमती जमुना देवी जी ने राजस्थान के गांवों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको व्यक्त किया है। बिजली, पानी की समस्या को दूर करने, बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपने सुझाव दिए। श्री चतुर्वेदी जी ने, पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त न करने की जो स्थिति रही है उसके कारण भी यह समस्याएं और बढ़ गई हैं की ओर ध्यान दिलाया है। जनसंख्या नीति के बारे में भी, कृषि और सिंचाई के बारे में तथा लघु उद्योग हो सकते हैं -हथकरघा, बुनकर, शिल्पकार इन सारी बातों में भी, उसको काम के लिए मौका मिले, उनका प्रशिक्षण हो, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं। श्री फेलेरियो जी ने भी अपनी बात को कहते हुए आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी बढ़ने के कारण हमारी जो स्थिति बनी है उसको

नियंत्रित करना चाहिए और लघु उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे करके उन लोगों को ऋण देकर उसमें भी रोजगार तलाश करने की बात कही है।

श्री संघप्रिय गौतम जी ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने की बात कही है। शिक्षा को काम से जोड़ा जाए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा को जीवन-पद्धति से जोड़ा जाए, परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और जनसंख्या पर नियन्त्रण करने, एक परिवार को एक रोजगार देने संबंधी सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसका आभार व्यक्त करने की भावना से मैं यह व्यक्त कर रहा हूं और यह सदन की भावना है। श्री जीवन राय जी ने जनसंख्या वृद्धि, कल-कारखानों के बंद होने, परम्परागत उद्योग को बढ़ावा देने, कपड़ा उद्योग बंद होने, सरकारी उद्योगों का निजीकरण होने जैसी बातों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। श्रीमती सरोज दूबे जी ने ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन होने पर चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि रोजगार की तलाश में लोग शहरों में आ जाते हैं और यहां पर दयनीय जीवन बिताने पर मजबूर होते हैं। श्री ललित भाई मेहता जी ने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सिंचाई व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। पशुधन के बारे में भी उन्होंने कहा है। श्री मूलचन्द मीणा जी ने कहा है कि बेकारी के कारण आतंकवाद बढ़ रहा है और उन्होंने परम्परागत उद्योगों के बंद होने पर चिन्ता व्यक्त की है। डा0 वाई0 राधाकृष्ण मूर्ति जी ने बंधुवा मजदूरों और बाल श्रमिकों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने लघु उद्योग बंद होने पर चिन्ता प्रकट की है। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का सुझाव भी उन्होंने दिया है। श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की बात कही है। प्रो0 एम0 शंकरलिंगम जी ने कृषि को बढ़ावा देने, डेयरी उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाने की बात कही है। श्री एन0टी0 सुंदरम जी ने विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण की नीति को असफल बताया है। उन्होंने परम्परागत उद्योगों के बंद होने पर चिन्ता प्रकट की है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाने का सुझाव दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मंत्री जी, आप भी अपनी तरफ से बता दीजिए कि इसमें आपकी क्या राय है?

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, उसमें सबकी राय को सम्मिलत करके, समन्वित करके काम करेंगे। मुझे तो इस विषय पर बताने में निश्चित रूप से आनंद ही होगा। इस विषय पर सारे देश की चिन्ता है, हम सबकी चिन्ता है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम आपकी भावना से पूरी तरह से सहमत हैं। सुंदरम जी का यह कहना कि विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण हो रहा है, उसके कारण नई-नई परिस्थिति पैदा हो रही हैं। हमारे पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं और नये उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं इसके परिणामस्वरूप जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको फिर से पुनर्नियोजन करना, उनको पुनःस्थापित करने का उपाय करना चाहिए। डा0 अरूण कुमार शर्मा जी ने शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात कही है। सरकारी नौकरियां सीमित हो गई हैं और अब नौकरियों के अवसर कम हो गए हैं। उनका सुझाव था कि प्रत्येक जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि, पर्यटन, मछली पालन, पशु-पालन आदि क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का उनका सुझाव था। श्री रामचन्द्र खूंटिया जी जो कि श्रमिक नेता हैं उन्होंने अपनी बात कहते हुए परम्परागत लघु-उद्योगों के बारे मे चिन्ता व्यक्त की है। बाल-श्रम समाप्त करने, काम के अधिकार और शिक्षा प्रणाली मे बदलाव करने की बात उन्होंने

कही है। श्री कृपाल परमार जी ने गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग-धंधों की कमी है जिसकी वजह से वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। श्री ब्रतीन सेनगुप्त जी ने इसी तरह से बेरोजगारी, गरीबी और काम के अधिकार के मौलिक अधिकार, रोजगार के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में खादी के काम को बढ़ाने का सुझाव दिया था। श्रीमती बसंती शर्मा जी ने जनसंख्या वृद्धि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। जनरल शंकर राय चौधरी, डा0 फगुनी राम, श्री रविशंकर प्रसाद जीने आर्थिक नीति में परिवर्तन, संशोधन करके उसका ठीक से उपयोग करने का सुझाव दिया था। सभी माननीय सदस्यों के जो सुझाव आए हैं वे निश्चित रूप से इस समस्या को ठीक से हल करने में सहायक होंगे।

हम जानते हैं कि हमारा देश श्रम प्रधान देश है। जब हम विकसित देशों के साथ अन्य देशों के साथ अपने देश की तुलना करते हैं तब ऐसा लगता है कि जो हमारी मौलिक अवधारणा है श्रम प्रधानता की उससे कहीं हम पीछे तो हट नहीं रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमने आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है और जब कारोबार, व्यवसाय, व्यापार दुनिया के स्तर पर लाकर करना होगा तो हमें गुणवत्ता और उत्पादन की बातों को सम्मिलित करते हुए अपने उत्पादनों को उस स्तर का बनाना होगा जिस स्तर की आज विश्व की ज़रूरतें हैं, उससे कंपीट करना होगा । प्रतिस्पर्धा में निकल कर हमको आगे आना होगा और यदि प्रतिस्पर्धा में निकल कर नहीं आ पाए तो निश्चित रूप से जो आज देश में विसंगतियां बढ़ती चली जा रही हैं, वे हमारे सामने रहने वाली हैं । तो यह बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो श्रम बल है, उसको श्रम कौशल से युक्त करने के लिए व्यापक उपाय किए जाएं । माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 36वें श्रम सम्मलेन में बोलते हुए कहा था कि हम देश में प्रशिक्षण और अनुसंधान के जिसमें रोज़गार के अवसर ज्यादा बढ़ सकें, उस प्रकार के उपाय करने को महत्व देंगे । किंतु इस घोषणा को सार्थक करने के लिए जो कार्यक्रम बनाना चाहिए, उसके बारे में श्रम मंत्रालय ने व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने का काम शुरू किया है । इसलिए बेरोज़गारी उन्मूलन का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके लिए माननीय श्री सुरेश पचौरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । बेरोज़गारी की समस्या देश के सामने एक प्रमुख मुद्दा है और इस पर पिछली सरकारों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बावजूद भी इस पर हम पूरी तरह से पार नहीं पा सके हैं । इस स्थिति में अन्य आदरणीय सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षित किया है अतः उनका भी आभार प्रकट करना मेरा कर्तव्य है ।

महोदय, देश में बेरोज़गारी बढ़ने का मुख्य कारण देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है जो एक देश के सामने गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है । उसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में श्रम बल में लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष होने की संभावना है यानि जनसंख्या की दर और रोज़गार पाने की दरों में यदि अंतर बना रहेगा तो निश्चित रूप से रोज़गार की स्थिति और उसकी जो विसंगति है, उसके बढ़ने के कारण बने रहेंगे। इसलिए जनसंख्या वृद्धि की दर कम होनी चाहिए और भविष्य में इस स्थिति में सुधार करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपाय हमें करने होंगे । हम जानते हैं कि श्रम बल की श्रम बाज़ार की मांग के अनुरूप श्रम कौशल का उन्नयन करना बहुत ज़रूरी है और यदि हम श्रम कौशल का उन्नयन करते है तो निश्चित रूप से जहां रोजगार के लिए उसके अवसर बढ़ जाते हैं, वहीं उसको जो पारिश्रमिक मिलता है, वह भी बढ़ जाता है और इस कारण उसके परिवार के रहन-सहन का स्तर भी बढ़

जाता है । तो यह एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम कौशल उन्नयन का काम करें । हम जानते हैं कि भारतवर्ष कौशल के बारे में अपने आप में बहुत महान देश रहा है किंतु आज इस सारी समस्या का उत्तर हमें देना है । यदि मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा में मुझे कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि आज का जो प्रश्न हमारे सामने है-

"हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी

आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी ।

यद्यपि इतिहास अपना ज्ञात पूरा है नहीं

हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं,

भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहां

फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहां,

सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है,

उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है ?

यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं,

विद्या, कला, कौशल जिसके थे प्रथम आचार्य हैं ।"

विद्या, कला और कौशल हमारे देश के आचार्य रहे हैं और जब मैं भारतीय की बात करता हूं तो मेरी भारतीय की धारणा काफी विस्तार से है ।

"उत्तरं यत् समादृश्य हिमादृश्येव दक्षिणम्

वर्षगतभारतनामः भारती यत्र संस्कृति भारती तत्र संस्कृति ।"

यह जो भारती है, यह विशाल अवधारणा को प्रकट करती है और इसलिए हमें अपनी मर्यादा के अनुरूप, हमारा जो कौशल है, हमारा जो कर्तृत्व है, हमारा जो पुरुषार्थ है, इसको प्रकट करने की ज़रूरत है और यदि यह एक बार निकल कर आ जाए तो दुनिया में इतने बड़े श्रम बल वाले देश को जिसमें 36 करोड़ का श्रम बल हमारे पास है -

"कि बोले मां तुम यकले बहुबलधारिणीं नमामितारिणीं ।"

इतना बड़ा श्रम बल होने के बाद यह भारतवर्ष कमज़ोर देश नहीं हो सकता और इसलिए इस श्रम को, कौशल को विकसित करने के लिए जो उपाय हमें करने होंगे, इसके लिए जो प्रशिक्षण के प्रबंध हमें करने होंगे, इसके लिए लोगों को उस काम में लगाने के लिए जो उपाय हमें करने होंगे, निश्चित रूप से हम अपने श्रम, कौशल को यदि शिक्षा के साथ जोड़कर काम करेंगे तो आने वाले समय में हम अपने देश को ही नहीं अपितु दुनिया को अपने कौशल के आधार पर दिखा सकते हैं।

मैंने अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस बात को कहा है कि जिस प्रकार आर्थिक उदारीकरण के दौर में पूंजी के आवागमन को सरलता मिल गई है, सहायता मिल गई है उसी

प्रकार से श्रम-कौशल पर दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए प्रतिबंध लगा है उसको हटा देना चाहिए। यदि पूंजी दुनिया में कही भी आ जा सकती है तो फिर श्रम कौशल को दुनिया के हर कोने में जाने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब इस पर सोचेंगे, जैसे पूंजी का प्रभाव होता है विकास के लिए, प्रगति के लिए और समृद्धि के लिए वैसे ही श्रम पहलू है। यदि किसी देश की प्रगति में पूंजी की हिस्सेदारी है तो श्रम की भी उतनी ही हिस्सेदारी उसके विकास और समृद्धि में दिखाई देनी चाहिए। श्रम कौशल एक महत्वपूर्ण बात है। यदि हमने इसको कर लिया तो निश्चितरूप से रोजगार के जितने अवसर हम सृजित कर सकते हैं, करेंगे। बेरोजगारी की समस्या केवल हमारे की ही नहीं अपितु विश्व की समस्या है। विश्व के अन्य देशों में रोजगार के अवसर और श्रम बल की बढ़ोत्तरी में अनुपात तो रहा है किन्तु हमारे देश में यह अनुपात विसंगति के रूप में रहा है। आज सारी दुनिया में पन्द्रह करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इनमें 15 से 24 वर्ष के बीच की आयु के युवक और युवतियों की संख्या छः करोड़ है। अधिक चिंता का विषय तो यह है कि 25-30 प्रतिशत श्रम बल ऐसा है जिनको पूर्ण समय केलिए रोजगार नहीं मिलता है।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

जो नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं उनमें सामान्यत: अच्छी गुंजाइश नहीं है। जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कुशलता है या कुशल हैं उनकी तकनीकी विकास के कारण स्वत: छटनी होती जा रही है। इसलिए उच्चकोटि की कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि सरकार देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को समय सीमा के भीतर उसको आयु, अर्हता और शक्ति के अनुकूल रोजगार देने का प्रयास करेगी। जिनको रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकेगा उनको मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी, यह माननीय सदस्य की इच्छा है। हम जानते हैं कि हमारे संसाधन सीमित हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि वित्तीय संसाधनों का उपयोग विकास के कार्यों में किया जाए। जहां विकासात्मक कार्य होंगे वहां रोजगार के सृजन के अवसर भी होंगे। यदि हम इनका बेरोजगारी के भत्ते के रूप में उपयोग करना चाहेंगे तो जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि एक हजार करोड़ रुपया व्यय होगा, हम जानते हैं कि इतनी राशि से बात बनने वाली नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि यह दिया जाएं या न दिया जाए, हमारे पास संसाधनों की कमी के होने के कारण, इस प्रकार की सुविधा हमको मिल नहीं पा रही है। यदि सीमित संसाधनों के रहते माननीय सदस्य की बात पूरी करें तो मेरी गुजारिश है हम अपने संसाधनों को विकासात्मक कार्यों में लगाएं और रोजगार सृजित करने के अवसर पैदा करें। हम चाहेंगे कि युवाओं का व्यावसायिक मार्गदर्शन किया जाए। हम देखते हैं कि देशभर में जिला रोजगार केन्द्र खुले हुए हैं। एक समय इन केन्द्रों से युवाओं को मार्गदर्शन मिलता था किन्तु आज हमारे देश में आवश्यकताएं और जरूरतें बढ़ गई हैं। इसलिए इन केन्द्रों पर युवाओं की निर्भरता कम होती जा रही है। अपनी-अपनी उपयोगिता के आधार पर विशिष्ट प्रकार के उद्योग निजी क्षेत्र में रहे होंगे या अनान्य उपक्रम चलाते होंगे, उनकी आवश्यकता रहती होगी। इसी आधार पर उन्होंने अपने रोजगार देने की पद्धति शुरू कर दी। हम चाहेंगे कि हमारे श्रम रोजगार केन्द्र व्यावसायिक मार्गदर्शन का भी काम करें। कैरियर परामर्श करने हेतु भी उनका सक्रिय सहयोग हो सकता है। इस प्रकार का प्रबन्ध करना उनके अनुकूल होगा। इस बारे में कम्प्यूटर नैटवर्क का विस्तार करके जहां भी जरूरत हो रोजगार देने की बात की जाए। नौवी पंचवर्षीय योजना में एक उद्देश्य श्रम सधन सेक्टरों के सब सेक्टरों में प्रौद्योगिकी पर एकीकृत रूप से अधिक रोजगार उत्पादन का

सृजन करना रहा है। हमने सब मंत्रालयों के साथ बैठकर इस बारे में विचार-विमर्श किया है । 1 अप्रैल,1999 से शुरू की गई ग्रामीण रोजगार योजनाओं का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में विलय किया है । इसके साथ-साथ जवाहर ग्राम समिति एवं सुनिश्चित रोजगार योजनाएं भी हमने चलाई हैं । पिछले तीन वर्षों 1997-2000 तक इन योजनाओं के तहत क्रमशः 3,197 तथा 6,268 एवं 5,660 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है जिसके कारण 2,16.45 श्रम दिवस सृजित किए गए । इसके अतिरिक्त 42 लाख बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने का काम भी इन तीन वर्षों मे हुआ है । रोजगार के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है उस पर एक माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की थी कि कुछ योजनाओं मे इसकी कमी होती जा रही है, किंतु कुछ योजनाओं मे इसकी बढ़ोतरी भी हुई है । यह बात जरूर है कि सरकार के पास व्यय करने के लिए जो धनराशि है उसका रोजगार की योजनाओ, जिनका उन्नयन कर दिया गया है, के लिए प्रयोग करने का काम हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की समयावधि में 3,124 करोड़ रुपये से 5,36,303 व्यक्ति मार्च, 2000 तक लाभान्वित हुए हैं ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : लक्ष्य क्या था ? लाभान्वित कितने हुए ? जितना लक्ष्य था क्या उतने लाभान्वित हुए ?

डा. सत्यनारायण जटिया : लक्ष्य तो हमेशा उच्च रखना होता है । उच्च लक्ष्य रखकर उसे प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर ही हर उपाय करना चाहिए । यह तो आप जानते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण भी जो उच्च लक्ष्य हम रखते हैं उसे प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह बहुत बड़ा तो नहीं है किंतु कुछ कम भी नहीं है क्योंकि इसमें 5,36,603 लोगों के रोजगार सृजन का काम हुआ है । व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से भी हमने अप्रेंटिस की योजनाएं बनाई हैं । इस आधार पर इन अप्रेंटिस योजनाओं के लिए हमारे पास जो आई.टी.आई. और बाकी प्रशिक्षण केंद्र हैं उनका भी उन्नयन करने की आवश्यकता है । अभी तक यह होता आ रहा है कि केवल एक ही स्किल में किसी को प्रशिक्षित किया जाता रहा है परंतु अब मल्टी स्किलिंग करने की आवश्यकता है । यदि कोई वेल्डिंग का काम जानता है तो उसे इलैक्ट्रिशियन की भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसे प्लम्बर की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है । मल्टी स्किलिंग जानने के बाद अधिक समय तक रोजगार मिलने तथा बेरोजगारी कम करने में मदद हो सकेगी । इसलिए मल्टी स्किलिंग लागू करने पर हमारा मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है । इसके अतिरिक्त इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ गई है । एक नया कम्प्यूटरीकृत युग आ गया है । इस आधार पर भी हमें प्रशिक्षण देकर इन कार्यक्रमों को करना है । आई.टी.आई. का प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा जैसे पोलीटेक्नीक, इंजीनियरिंग आदि भी इसी ट्रेनिंग की एक कड़ी हैं । आई.टी.आई. से प्रशिक्षित होकर जो निकले उसे रोजगार मिले, मुझे इसकी चिंता है । ऐसे प्रशिक्षित लोगों को ठीक प्रकार से रोजगार मिल जाए इसके लिए श्रम बाजार की जो मांग है, जो डिमांड है उसे पूरा करने के लिए जो-जो उनकी जरूरतें हों उसके अनुसार उन्हें ट्रेनिंग देने का काम हम करें क्योंकि सन् पचास के बाद की परंपरागत ट्रेनिंग जो हम देते आ रहे हैं वह प्रासंगिक हो गई है । इसलिए पुराने स्किल के स्थान पर नये स्किल्स लाने की जरूरत है । जो पुराने स्किल चल रहे हैं अगर उनमें जरूरत है तो उनका भी उन्नयन होना चाहिए । यह सरकार का प्रशिक्षण देने की योजना का ही एक हिस्सा है ।

उपसभापति : मंत्री जी, नौकरियां देने के साथ-साथ आपको ऐसी भी कोशिशें करनी चाहिए कि कोई छोटे को-आपरेटिव बनाने की स्कीम हो जिससे कि जो लोग आई.टी.आई. से

निकलते हैं, तकनीकी या छोटे प्रशिक्षण सीखकर आते हैं, ऑक्युपेशनल या एजुकेशनल वे खुद मिलकर कारोबार शुरू कर सकें । क्योंकि कितनी नौकरियां आप बढ़ाएंगे, यह बहुत मुश्किल है । वे खुद अपने व्यवसाय शुरू कर सकें इसका प्रावधान होना चाहिए । सरकार की तरफ से उनके लिए को-ओपरेटिव बनाने की योजनाएं चलाएं । इसके लिए उन्हें मेटेरियल सपोर्ट, मोनिटरी सपोर्ट दीजिए ताकि ये लोग खुद अपने पांव पर खड़े हो सकें । नौकरियां कहां तक बढ़ाते रहेंगे There is a limit for jobs. A co-operative movement for these people has to be thought of.

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीया उपसभापति महोदया, आपका जो सुझाव है, यह तो हमारी परंपरा और संस्कृति के अनुकूल है । साथ-साथ काम करने की जो आदत है ।

उपसभापति : इससे नेशनल इंटीग्रेशन भी होगा ।

डा. सत्यनारायण जटिया : इससे होगा । हमारे यहां जो सूत्र है जो संसद् के गलियारों में लिखा है -

संगच्छध्वं संवद्वध्वं

सं वो मनांसि जानताम्

समान मंत्र समिति समानी

समान मन: सहचित्तमेषाम्

यह कदम बढ़े, वह कदम बढ़े

हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक ।

साथ-साथ चल कर के कोआप्रेटिव मूवमेंट जब देश में चला था हमारे यहां पर एक अच्छा मूवमेंटम मिल गया था । आज भी उसके कारण बहुत सारे काम हो रहे हैं । इसी के आधार पर अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए, अपने संस्थानों को स्थापित करने के लिए जो ट्रेनिंगशुदा लोग हैं वे एक साथ आ कर के इस प्रकार का उपक्रम करते हैं, उसकी निश्चित रूप से जरूरत है । सहकारिता के आधार पर लोग अपने उद्योग और व्यवसाय केन्द्र खोलें और उसमें जो लोग ट्रेनिंग लिये हुए हैं, जहां जहां जरूरत है जरूरत के मुताबिक लोगों को काम करने के लिए मौका दें । यदि कोई जॉब वर्क मिलता है तो उस जॉब वर्क को पूरा करें । उसके आधार पर एक साथ रह कर सहकारिता के आधार पर किया जा सकता है । यह भी जो एक विचार आपने आज दिया है निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा और उसको योजना में किस तरह से सम्मिलित किया जाए यह मेरा मंत्रालय देखने के लिए जो उपाय कर सकता है वह जरूर करेगा।

उपसभापति : यह सिर्फ आपके मंत्रालय से नहीं होगा । आप, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल कर के इस सिलसिले में काम कर सकते हैं । Because it is a multi-discipline job, multi-discipline proposition, only the Labour Ministry cannot do it. It has to be done in cooperation. पहले आप अपना कोआप्रेटिव बनाइये एक दूसरे के साथ मिल कर के तो इसके बारे में सोचिये । हमारी बेरोजगारी को दूर करने का इसके

इलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है चाहे हमारे खेतों के बारे में हो, हमारे गांवों के बारे में हो या अरबन एरिया हो या रूरल एरिया हो, दोनों में कोआप्रेटिव्ज़ से चलें, सब छोटे छोटे साधन जमा कर के यूनिट बढ़ा कर के होगा, उसको डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, I would complement to your view. If the Govrernment decides to give some priority to the service and the manufacturing sectors, it will help a great deal. For example, if you take Government jeeps and other things, they are sending them for repair. If there is a cooperative automobile unit, auto workshop, which will have workers, tinkers, electricians, mechanics, everybody, they will get priority. If they get priority, then, automatically, in the services sector like automobile workshops, cooperatives will come up. Similarly, in the manufacturing sector, if you give priority to cooperatives in purchases, cooperative societies will come up and the cooperative movement will grow. That will be with the help of both the Central Government and the State Governments. They can make some sort of model Act and get the consent of the State Governments also. If priority is given to the services and manufacturing sectors as for cooperatives, I think it will automatically boost the cooperative movement and employment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, I have worked on the scheme. That is why I intervened from the Chair. Under the Sanjay Niradhar Yojana, you give Rs.25,000/-. Nobody can start a business, productive business, with Rs.25,000/- in these days. So, if 12 people, young men, can join together, then it will be a substantial amount which can be put into some industry or some business. As he rightly says, in the services industry, auto-mechanics, etc. can also start some proper business and share. The concept of sharing would also be there. The national integration part would also be there. They will join because of business and the money, a substantial money, would be there to start anything. Rs.25,000/- will only increase inflation. He will not be able to do anything. So, he will only buy unproductive things for his family and the purpose would not be served. I will look into it. I might be having the scheme. If I have it, I will send it to you.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Madam, I thank you for that suggestion. This sort of cooperatives will be one of the solutions to the problem. But, how to safeguard them against the competition from the multinational corporations and liberal imports and dumping of different products? This is one of the good suggestions. I do corroborate with your suggestion. But then, the products these

cooperatives will be manufacturing have to be protected from the invasive nature of the marketing of the multinational corporations of different countries which are exporting their different goods at cheaper rates.

The cooperatives won't be able to sustain themselves unless the Government envisages some particular measures to give them protection from competition, to give them protection for procuring raw materials, to give them protection for manufacturing etc.etc. Unless these things are ensured, your very good suggestions won't be of any use.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would rather not use the word protection because it conveys a negative meaning. I would rather use the word 'support' because when you talk of protection, it appears as if they are producing sub- standard goods for which they get protection, and that creates a very bad impression. It should be support. I can assure you that the multinationals are not going to enter the sphere of the small-scale industries which the cooperatives are going to handle. They are going to start big industries. But small industries in the villages, in the small towns, where multinationals are not going to come, can be handled by the small-scale industries. This is the only way to solve this problem.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): अचार और चटनी भी आयात किया जा रहा है। चटनी की रायल्टी, उसकी तकनीक की रायल्टी दी जा रही है ...(व्यवधान)...

SHRI MANOJ BHATTARCHARYA: Including office files.

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय उपसभापति महोदया, यह जो कोआपरेटिव के बारे में बात है, मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि केवल छोटी छोटी जगहों पर नहीं बल्कि एक जूट कारखाने को मजदूरों ने, जो बंद हो रहा था, अपने साथ मिला करके चलाने का काम किया है और आज वह अच्छी तरह से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोआपरेटिव के आधार पर कोई बात नहीं हो सकती है। हमने यही प्रयोग करके एक जूट कारखाने को चलाने का काम किया है और आज वह इस स्थिति में है कि उसमें कोई नुक्सान नहीं है। चूंकि टेक्नालाजी तेजी से बदल रही है और टेक्नालाजी बदलने के कारण कारखानों में जो बदलाव आना चाहिए वह नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन उस श्रेणी का नहीं होगा, उस गुणवत्ता का नहीं होगा जो कि बाजार में टिक सके। तो जरूरत इस बात की है ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE(West Bangal): That jute mill has got a lot of support from the State Government.

डा. सत्यनारायण जटिया : मैंने यह तो नहीं कहा कि बिना सहायता के चल रहा है। निश्चित रूप से सहायता है। जो सबकी मंशा है । उस सहायता के कारण ही वह चल पा रहा है। बिना सहायता के तो कुछ टिक नहीं सकता। बिना सहारे के कुछ चल नही सकता। सरकार की इच्छा थी। सरकार की मंशा थी और मुझे यह खुशी है कि यह पश्चिमी बंगाल में चल रहा है..(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : इसलिए तो कह रहे हैं। हमको मालूम है ...**(व्यवधान)**... It is not that easy.

डा. सत्यनारायण जटिया: मुझे पता है और इसलिए मुझे उस सरकार के प्रति भी जो यह कारखाना चलाने में मदद कर रही है ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी : अब अचार चटनी बाहर से मंगाएंगे तो कौन सी इंडस्ट्री चलेगी। वे तो बोल रहे हैं ना...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : पश्चिमी बंगाल में तो सरकार भी ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : देखिए अचार चटनी आएगी, आप मत खरीदिए उस अचार चटनी को। आपको कंपलशन खरीदने का तो नहीं है Don't buy it.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Then you have to create a movement. (Interruptions) The movement cannot be created with the media like TV which reaches every home. (Interruptions) With the TV media that we have now and which is pervading every home, you cannot create that movement which Gandhiji created. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why can't you become a Gandhi?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I don't believe in this. Let us face the reality. We cannot run away from the reality. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't agree. You see all those White Wares were here in India selling everything during the British time. But when Gandhiji did picketing, nobody bought anything from those shops, and ultimately, they had to burn their stocks. Why do you buy their *achchar and chutney*? Buy the Indian *achchar and chutney.* Dont' buy fruits which are imported from abroad. I don't buy them. Why do you buy them? If you stop buying them, they will stop dumping them here. They dump it because people buy it. If you stop buying them, nobody is going to dump. Don't put the blame on the Government. I went to the market yesterday and they showed me some khurbuja from Japan which they were selling at Rs. 400 per kg. I said: " I am an Indian. I buy Indian things. You please give me Indian khurbuja." So, don't buy such things. They are not going to throw it into the *kachre ka dubba.* They dump it here because people buy it. Start a peoples' movement that we are not going to buy and consume anything which is foreign-made and which is available in the Indian market. Buy only the Indian things.

श्री संघ प्रिय गौतम : आप कौन सा सिगरेट पीते हैं? विदेशी या देशी? ...(**व्यवधान**)...

डा. सत्यनारायण जटिया: तो जिस प्रकार की आपकी मंशा है उसमें जो सभी स्वरोजगार योजनाएं हैं उसमें समूह को ऋण देने की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना का लाभ लेना, योजना से रोजगार के सृजन के अवसर पैदा करना और अपने परिवार और देश की प्रगति में अपना योगदान करना, यह योजना का आधार रहा है। अब जैसा कि समस्याओं का विस्तार होता है तो समस्यायें भी बढ़ती हैं। डब्ल्यूटीओ की बात को हमने माना है । एंटी डंपिंग के जो मेजर्ज़ हैं वे सरकार को करने चाहिएं और सरकार उसके प्रबन्ध कर रही है । एंटी डंपिंग को रोकने की दृष्टि से जो भी उपाय हमारे पास हैं उनका भी सरकार इस्तेमाल करेगी, इस प्रकार की बातों को रोकने का काम करेगी । किंतु एक बात को हमको समझना होगा कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आने के लिए यह जितनी रोका-रोकी जो हमारे लिए आवश्यक है वह तो हमको करनी ही होगी । परन्तु हमको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि कभी न कभी तो हमको इस स्पर्धा में आ करके दुनिया से आगे जाना है और इसके लिए संकल्पशक्ति की आवश्यकता है । अब देश की आजादी के 50 वर्षों के बाद भी यदि हमारी यह क्षमता अर्जित नहीं हुई है तो हमें इस बारे में और अधिक सजगता के साथ, सावधानी के साथ और अधिक कार्य क्षमता के साथ काम करने की आवश्यकता है । इसलिए ये समस्यायें जो हमारे सामने हैं उन से पार जाते हुए, और जैसा कि मैंने कहा कि बेरोज़गारी कोई एक भाग की समस्या नहीं है, यह किसी प्रदेश की समस्या भी नहीं है, इसलिए आर्थिक गतिविधियों को किसी एक क्षेत्र तक सीमित करना मुनासिब नहीं होगा । हर आर्थिक गतिविधि इस समस्या से जुड़ी हुई है । इसलिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ और राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के साथ मिल करके एक सामूहिक पहल करनी होगी जिससे कि रोज़गार सृजन के अवसर ज़्यादा बढ़ जाएं । इसलिए जो-जो सुझाव यहां माननीय सदस्यों ने दिए हैं और जो-जो भी तरकीबें उन्होंने सुझाई हैं, उन सारी बातों को करने के लिए, ताकि रोज़गार के ज़्यादा अवसर सृजित हो सकें, इस बारे में जो भी उपाय सरकार को करने चाहिएं उसके लिए मेरा आग्रह होगा कि संबंधित मंत्रालयों को उन सारी बातों से अवगत कराने का काम करूं । साथ ही साथ यह जो एक विकट समस्या है जिसके बारे में इतने विस्तार से चर्चा हुई और 27 लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया है उसका यदि हम अंदाज़ लगायेंगे तो लगेगा कि यह काफी उपयोगी चर्चा रही है । और सन् 1996 का प्रस्ताव जो आज 2000 में विचार-विमर्श के लिए आया तो इस बीच की जो परिस्थितियां थीं उन पर भी विचार-विमर्श करने का अवसर मिल गया और इन सारे सुझावों का कारण बन गया, जो इसका एक निमित्त बन गया है । इन सारी बातों की पहल करने के लिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन और साधुवाद करता हूं तथा उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं ।

साथ ही साथ इस बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या की तरफ सरकार का जो आपने ध्यान आकृष्ट किया है और इसके कारण जो अनेक विसंगतियां समाज के अंदर खड़ी हो गई हैं उन सारी बातों को रोकने के उपाय करने के लिए आपने सरकार को सावधान करने का जो काम किया है उसके लिए मैं आपका साधुवाद करके आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके, क्योंकि इस सारी चर्चा के बाद सरकार ने आपके सुझावों को समझ लिया है, आप अपने इस विधेयक को वापस लेने का काम करेंगे । इतने ही आग्रह के साथ माननीय सदस्य श्री सुरेश पचौरी जी को इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए और सभी माननीय सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सुरेश पचौरी : आदरणीया उपसभापति महोदया, बेरोज़गारी निदान विधेयक, 1996 मैंने इस सदन में दिसंबर 1996 में प्रस्तुत किया था और चर्चा के लिए 28 अप्रैल, 2000 को आया था । इसमें मेरे अतिरिक्त 27 विद्वान सदस्यों ने भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए । इसके लिए उन सभी सदस्यों का विशेष रूप से आभारी हूं । जहां तक बेरोज़गारी की समस्या का प्रश्न है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या ने एक ऐसा भयावह रूप धारण कर लिया है कि इसका सामना करने के लिए हम सब को एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, मिल-जुल कर प्रयास करने पड़ेंगे । व्यापक दृष्टिकोण इसलिए कह रहा हूं कि इस समस्या का निदान खोजने का दायित्व किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि इसका निराकरण सब लोगों को करना है ।

महोदय, यह बेरोजगारी की समस्या केवल भारत की ही समस्या नहीं है बल्कि विश्व की एक विकराल समस्या है । सारे विश्व में अनुमानित कुल बेरोजगारी की संख्या 140 मिलियन है, वहीं भारत में यह संख्या 8 मिलियन है और जहां सारे भारतवासी इस समस्या से चिंतित हैं वहीं विश्वव्यापी इस समस्या से सभी लोग चिंतित हैं । जहां हमारे देश का प्रश्न है, हमें समय रहते कुछ ऐसी विशेष रोजगार योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिन के कार्यान्वयन से लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिल पाए ।

महोदय, 15 अगस्त 1998 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की थी कि प्रति-वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 10 वर्षों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की बात है, मैं सोचता हूं कि उस के 33 प्रतिशत की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है और लोग कहने लगे हैं कि प्रधान मंत्री की यह घोषणा भी घोषणा ही रह गयी है । महोदय जहां तक विशेष कार्यदल के गठन की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है । महोदय, कई बार इस सदन में ऐसे प्रश्न आए हैं और जवाब में यही कहा गया है, लेकिन उस के परिणाम और निष्कर्ष क्या निकले, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है । इसलिए यह तो रोजगार के ख्याली पुलाव पकाना, आश्वासन बंद बस्ते में रख देना व केवल सब्ज-बाग दिखाना है और ऐसा करने से जनसंख्या की वृद्धि से ज्यादा बेरोजगारों की वृद्धि होती जा रही है । महोदय, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हम निश्चित रोजगार-परक नीति अपनाएं, यह सरकार एक सकारात्मक पहल करे ताकि इस समस्या से सभी लोगों को मुक्ति मिले । यह भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि गांवों में लोग अपने खानदानी व्यवसाय से विमुख न हों । हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि जो लोगों के परंपरागत उद्योग-धंधे हैं, उन के प्रति लोगों का रुझान बना रहे, यह देखे जाने की बहुत जरूरत है । महोदय, हम जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की बात जब करते हैं तो उस पर अंकुश तभी लगेगा जब कि बेरोजगारी पर अंकुश लग पाएगा क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ने से देश के अन्य हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है । आज हिंदुस्तान की तरुणाई या युवा वर्ग, बेरोजगारी के दुष्चक्र मे फंसता जा रहा है । जनसंख्या वृद्धि जहां इस का कारण है वहीं हमारे देश की शिक्षा प्रणाली भी इस का मूल कारण है । उस मे भी आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । इसलिए जरूरत इस बात की है कि बढ़ती बेरोजगारी के प्रति सरकार बेखबर न हो बल्कि खबरदार हो । यह खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता

है । महोदय, इस संबंध में हमारे लक्ष्य निर्धारण की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, जैसे वर्ष 1999-2000 में गांवों में जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से 39 करोड़ 46 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस के विपरीत केवल 5 करोड़ 87 लाख लोगों को ही रोजगार दिया गया । यह एक गंभीर संकेत है और मंत्री जी ने लक्ष्य और आंकड़ों की बात कही तो मेरा सरकार को सुझाव है कि हम सरकारी आंकड़ों के भ्रमजाल में न फंसें बल्कि वास्तविकता की तरफ ध्यान दें । इस पर गौर करने की जरूरत है । महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी रोजगार की नीति केवल किताबी नीति न हो बल्कि वह वास्तविकता से जुड़ी हुई हो। नीति बनाते समय हमारी नीयत साफ हो और हम केवल घोषणावीर न हों, यह भी देखे जाने की आवश्यकता है ।

महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में इन बातों को नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन न हो, हम राजनीतिज्ञ केवल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ऐसी कुछ नीति न बनाएं, केवल ऐसी घोषणा न करें जिसका पालन करना बहुत दुष्कर हो जाए, बहुत कठिन हो जाए। हम केवल वही नीति बनाएं, हम केवल वही घोषणा करें जिसका हम लोग पालन कर सकें, तब हम इस देश की तरुणाई के भविष्य के साथ नहीं खेल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है । जब मैं यह बात करता हूं कि बेरोज़गारी की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है तो हमें एक बहुत बड़े दिल के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ इसके इलाज के बारे में विचार करना पड़ेगा । यदि हम समय रहते विचार नहीं कर पाए तो न सिर्फ देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा बल्कि देश के भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता के आधार पर बेरोज़गारी दूर करने के लिए हमें पर्याप्त कदम उठाने चाहिए ।

हमारे माननीय मंत्री जी कवि हैं और उन्होंने मैथिलिशरण गुप्त की कविता का उन्होंने उल्लेख किया है। मैं अपनी बात मैथिलिशरण गुप्त की कविता कहकर ही समाप्त करना चाहूंगा । मैथिलिशरण गुप्त ने कहा है :-

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब

पल में प्रलय होएगी, बहुरि करेगा कब

मैं यह कहना चाहूंगा कि आप केवल घोषणा न करें, कल पर निर्भर न रहे, भविष्य को उज्ज्वल बनाए रखने के लिए बगैर समय नष्ट किए अपनी नीतियों का, अपनी घोषणाओं का पालन करें, तब बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्या का समय रहते हल हो सकता है और जो लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यो का सही पालन हो, यह मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है ।

उपसभापति महोदया, आपने भी जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो निर्देशन दिए, मुझे विश्वास है कि उनका भी पालन होगा, जो आपने मंशा व्यक्त की, उसका भी पालन होगा ।

मंत्री जी, आप महाकालेश्वर की नगरी के हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि जो आपके मन से बात निकली है बेरोजगारी के बारे में, आपके मन की उस बात का भी सही पालन होगा। । बेरोजगारी के प्रति जो आपने चिंता व्यक्त की है, उससे आप इस देश के बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे ।

इसी विश्वास के साथ मैंने अपना जो बिल 1996 में रखा था, बहुत विस्तार से चर्चा होने के बाद जो आज समापन की तरफ है, मैं उसको वापिस लेता हूं उन सब सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने इस सदन के अलग-अलग सत्रों में - चाहे 28 अप्रैल हो, चाहे 12 मई हो, चाहे 28 जुलाई हो, चाहे 18 अगस्त हो - भाग लेते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जब बेरोजगारी दूर करने के बारे में नीति निर्धारित करेंगे, तो उसमें इन सुझावों का समावेश भी करेंगे । मैं आशा करता हूं कि टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है, उस पर भी आप जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और इस देश की जो तरुणाई बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसती जा रही है, उससे भी उनको मुक्ति दिलाएंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो बिल प्रस्तुत किया है उसकी भावना बहुत पुण्य है, उस भावना का सही रूप में आदर करते हुए आप नीति निर्धारित करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपना बिल वापिस लेता हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं माननीय सदस्य के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं ।

उपसभापति : भावना भी है और समस्या भी है, गंभीर समस्या है । भावनाएं बहुत सी चीजों पर होती हैं, लेकिन वे सब गंभीर नहीं होतीं, मगर यह बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि जिस देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा, वहां खतरे बढ़ सकते हैं । समाज के नौजवानों को सही रास्ते पर, सही धारा में लाने की जरूरत है और जिसके पेट में रोटी नहीं होगी, भूखा पेट होगा तो वह बंदूक भी उठा सकता है । तो यह बहुत गंभीर समस्या है, इसको हमें वार फुटिंग पर देखना होगा कि हम इसका हल क्या निकालें और जो इन्होंने कहा कि इसमें देर मत कीजिए, यह सही है । इन्होंने तो खुद ही वापिस ले लिया । Does Shri Suresh Pachouri have the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

उपसभापति : बड़ी जोर से आपने विदड्रा कराया ।

श्री संघ प्रिय गौतम : सदन सो सा रहा था, कुछ हंस तो जाए ।

उपसभापति : क्या ?

डा. सत्यनारायण जटिया : सदन में कुछ मुस्कुराहट आ जाए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपने थोड़ी सी जान पैदा की चेयर से ।

उपसभापति : हां, की । I am a Member of this House. I might have different seats, here and there, but I cannot control my anguish about the youth of this country. If there are no jobs available, these young girls and boys will go towards the wrong direction.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: That is your contribution. *(interruptions).*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think this is not unemployment so much. There is over-employment which is not being utilised. Our House is running under under-capacity because when we were discussing the flood situation, there was drought of Members in the House. When we are discussing unemployment, I think, the Members are employed somewhere else, not in the job that they have taken up. It is an important issue because in all my years in Parliament, I have noticed that the Private Members' Bills are of great importance because they come from the aspirations of the Members which they think are the aspirations of the people. And they are as important as the Government business. The Government business comes up when the Government needs certain legislations. But through the Private Members' Bills, the Members come with the feelings of the people which they see in the civil society, and they are the representatives of the civil society. This and every other Bill which is listed here is of importance.

Now, we move on to the next Bill. Shri Karnendu Bhattacharjee. Not present. Then Dr. Y. Lakshmi Prasad. Not present. Now Shri Kartar Singh Duggal.

THE PROHIBITION OF SMOKING BILL, 2000

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL (Nominated): Madam, I move:

> That the Bill to provide for the prohibition of smoking of tobacco in any form in places of public work or use and in public service vehicles since smoking has been found injurious not only to the smokers but even more to the non-smokers and to make provision therefore and for other matters connected therewith, be taken into consideration.

उपसभापति : ऐसा लगता है कि यह प्रावधान तो है क्योंकि हवाई जहाज में स्मोकिंग मना है, पब्लिक प्लेसेज में मना है, पार्लियामेंट में भी अंदर तो मना ही है ।

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Madam, smoking considered as a private problem until yesterday is a public hazard today. It has been proved beyond any doubt that tobacco smoking is injurious not only for the one who indulges in it, but it is also as much harmful, if not more, for those around. Cosmetic measures like advertising "Smoking is injurious for health" etc. may have succeeded to an extent in the developed countries but these have registered little impact in the developing and